न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) कोटकासिम (अलवर)

क्रमांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी. ओ.
	अनुपालना:- हस्तान्तरण बनाम [illegible] कैसा
	शाखासंख्या: 211/21-07-2016
	निर्णय दिनांक :- 05-12-2016
	पत्रावली पेश हुई। पक्षी व वकील उपस्थित। पक्षी की ओर से

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) कोटकासिम (अलवर

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल पी. ओ.

वादी व राजस्व रिकार्ड के अनुसार विवादित आराजी खसरा नं. 483/4-07 रकबे शामिल कोटा है। 22-9-1964 के बाद वादीगण ने खरीद किया जो खसरा नं. 483 से हाल खसरा नं. 210, 211 बनकर आराजी नं. 211/1-18 को मुकदमा विपक्षी ने प्रतिवादी के नाम गलत खातेदारी दर्ज किया जो खातेदार है प्रतिवादी ने पक्ष को न्यायालय से तौर नोटिस प्राप्त किया जिसका राजीनामा होने पर भी उनकी ओर से कार्यवाही नहीं की गई इसलिए भी वादीगण का दावा में विवादित आराजी पर खातेदारी पाने के अधिकारी साबित है।

अतः वादी का वादगाडि की किया जाता है विवादित आराजी हाल खसरा नं. 211/1-18 शामिल रकबे शामिल कोटा पर से प्रतिवादी पक्ष का नाम कलम कटा किये जाने व वादीगण संख्या 1 से 19 के नाम उनके हिस्से अनुसार खातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रति. पक्ष को तौर हुक्म इमतनाई दावा के पाबन्द किया जाता है। वादी व विवादित आराजी के रिकार्ड की व मौके की यथास्थिति कायम रखा उनका अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल किया जावे तथा अनुसार पत्रावली की जावे पत्रावली निर्णय अनुसार डाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 05-12-2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर पूरा इजलास सुनाया गया।

[illegible]
[illegible] (अलवर)

पत्रावली - डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)
पीठासीन अधिकारी :- उम्मेदीलाल मीणा RAS

अनुपान

हरनारायण आदि बनाम ज्ञानचन्द आदि
वादीगण प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक मय मुतल्ली अन्तराय
बमय हुक्मे ईमतनाई दफा 34 अन्तर्गत
धारा - 88-89-188 राज. काश्त. अधि. 1955

उपस्थित :-

1. श्री जगतसिंह चौधरी अधिवक्ता
वादीगण

-: निर्णय :-

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है। विवादित आराजी खा.सं. 211/1-18 लीला वाके ग्राम केरवा पर से प्रति. 1 से 4 का नाम कलमजन किये जाने व वादीगण संख्या 1 से 19 के नाम उनके हिस्से नुसार खातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रति. 1 से 4 को जबे हुक्मे ईमतनाई दफा 34 से पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित आराजी के रिकार्ड की व मौके की यथास्थिति कायम रखे। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल किया जावे। पत्रावली निर्णय कुमार होकर बाद तक मील दाखिल दफ्तर की जावे।

पत्री डिक्री आज दिनांक 05-12-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मुहर न्यायालय से जारी की जाती है।

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner